

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, (SDO) बाड़मेर

नाम पीठासीन अधिकारी:- श्री रोहित चौहान आर.ए.एस.


प्रशासन गांवों के संग अभियान-2021 राजीव गांधी सेवा केन्द्र बेरीवाला तला

प्रार्थीगण	बनाम	विप्रार्थीगण
1. देदाराम पुत्र थानाराम 2 जुंजाराम पुत्र थानाराम 3 हरियोदेवी पत्नी थानाराम जाति जाट निवासी बेरीवाला तला तहसील व जिला बाड़मेर		1. भैराराम पुत्र हीराराम 2 रामाराम पुत्र हीराराम 3 चम्पा पत्नी चेतनराम 4 हेमाराम पुत्र चेतनराम 5 नोजी पत्नी खेराजराम 6 केसराराम पुत्र खेराजराम 7 इसराराम पुत्र खेराजराम 8 तुलसाराम पुत्र खेराजराम जाति जाट निवासी बेरीवाला तला तहसील बाड़मेर 9 जेठाराम पुत्र गंगाराम 10 भैराराम पुत्र मूलाराम 11 सोनाराम पुत्र मूलाराम 12 भीखाराम पुत्र मूलाराम 13 कौशलाराम पुत्र मूलाराम 14 देदाराम पुत्र मगाराम 15 कंवराराम पुत्र मगाराम जाति जाट निवासी सांगाणा कुआ, रामसर कुआं तहसील बाड़मेर 16 मोमताराम पुत्र गोधूराम 17 इसराराम पुत्र कुम्भाराम 18 नवलकिशोर पुत्र वीरमाराम 19 उगाराराम पुत्र वीरमाराम 20 सुगनी पत्नी गिरधारीराम जाति जाट निवासी बेरीवाला तला तहसील बाड़मेर व जिला बाड़मेर

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 करने नेखमबन्दी बाबत राजस्व आवेदन संख्या-107/2021 दिनांक-25.11.2021

आदेश

उपर्युक्त, प्रकरण मौजा बेरीवाला तला, पटवार क्षेत्र बेरीवाला तला तहसील एवं जिला बाड़मेर के खसरा नम्बर 942 रकबा 0.07 बीघा, 943 रकबा 0.08 बीघा, खसरा नंबर 1470/944 रकबा 136.07 बीघा कुल रकबा 137.02 बीघा चारो तरफ पक्के नेखम स्थापित करते हुए नेखमबन्दी करने हेतु तहसीलदार बाड़मेर को कमीश्नर नियुक्त किया जाता है। उक्त नेखमबन्दी कार्रवाई करने से पूर्व प्रार्थी व विप्रार्थीगण को जरिये नोटिस/पत्र सूचित करते हुए एक निश्चित तारीख मुकर्रर कर (वर्षाकाल में खड़ी फसल पर सीमांकन व पत्थरगढी नही करने बाबत राजस्व विभाग द्वारा जारी निर्देश दिनांक 07.09.1992 के मदेनजर) कर पक्षकारान की उपस्थिति में नेखमबन्दी की जावे। कमीश्नर शुल्क रुपये 1500/- अक्षरे एक हजार पांच सौ रुपये मात्र निर्धारित की जाती है, जो प्रार्थी द्वारा मौके पर अदा किया जावेगा।



Copy
D/S

(रोहित चौहान)

उपखण्ड अधिकारी (SDO) बाड़मेर

दिनांक- 06/12/2021

क्रमांक/रीडर/2021/ 4339-4342
प्रतिलिपि:- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है:-

1. तहसीलदार बाड़मेर पालना प्रस्तुत करते वक्त पत्र पर निर्णय की तिथी अवश्य अंकित करें।
2. पटवारी बेरीवाला तला तहसील बाड़मेर को भेजकर लेख है कि निर्धारित तिथी को मय रेकर्ड उपस्थित रहकर नेखमबन्दी की कार्रवाई पूर्ण करावें।
3. प्रार्थी देदाराम पुत्र थानाराम वगैराह जाति जाट निवासी बेरीवाला तला तहसील व जिला बाड़मेर
4. विप्रार्थीगण भैराराम पुत्र हीराराम वगैराह जाति जाट निवासी बेरीवाला तला, सांगाणा कुआ, रामसर कुआं (बेरीवाला तला) तहसील व जिला बाड़मेर

उपखण्ड अधिकारी (SDO) बाड़मेर